संख्या: 1/2016/430 /पैंतीस-2-2016-3/39(36)/13

प्रेषक,

राम रेखा पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 17 मार्च,2016**

विषय- वर्ष 2015-16 में "सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार" योजना के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु कम्प्यूटर (सहवर्ती उपकरण सहित) क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 72/ले0-33/2011, दिनांक 21.01.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के संदर्भ में सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार के अन्तर्गत 53 कम्प्यूटर क्रय किये जाने हेतु रू0 74,71,000/- की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से दिये जाने का प्रस्ताव करते हुए क्रय की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

2- आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में शासन के पत्र संख्या- 317/35-2-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-05- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्किीय प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान के अन्र्तगत मानक मद 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के अन्तर्गत रू0 74,71,000/- की बजट व्यवस्था करायी जा चुकी है। इस प्रकार तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित कम्प्यूटर क्रय हेतु रू0 74,71,000/- की बजट व्यवस्था वर्ष 2015-16 में उपलब्ध है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त "सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार" योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 53 कम्प्यूटर (सहवर्ती उपकरण सहित) अनुमानित लागत रू0 74,71,000/- क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 74,71,000/- (रू0 चौहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :-

(1) स्वीकृति धनराशि व्यय करने से पूर्व कम्प्यूटर क्रय संबंधी आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभागके सुसंगत शासनादेशों एवं वस्तुओं का क्रय उ0प्र0 स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित तदविषयक आदेशों/नियमों/सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत शासनादेशों, नियमों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

(3) धनराशि के व्यय के उपरान्त यदि कोई हानि होती हैं तो उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

(4) व्यय करने के पूर्व तेरहवें वित्त आयोग/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृति धनराशि का नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-05- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्किीय प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान के अन्र्तगत मानक मद 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0: 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 1/2016/430(1)/पैतीस-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व , द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।